भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 3375
सोमवार, 16 दिसम्बर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

ईपीएस, 1995

3375. श्री दरोगा प्रसाद सरोज:
श्री संजय हरिभाऊ जाधव:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:;

(क) ईपीएस, 95 पेंशनभोगियों को पेंशन देने की नीति और मानदंड क्या है और क्या इन्हें संशोधित करने का कोई निर्णय लिया गया है;
(ख) क्या सरकार द्वारा देश में ईपीएस, 95 पेंशनभोगियों के मामलों की कोई जांच अथवा समीक्षा की गई है;
(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा ऐसे कुल कितने मामले हैं;
(घ) ईपीएस,95 पेंशनभोगियों को संशोधित पेंशन कब से जारी किए जाने की संभावना है और देश के सभी राज्यों विशेषकर महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में इससे कितने पेंशनभोगियों के लाभान्वित होने की संभावना है; और
(ङ) स्वास्थ्य सेवाओं के संदर्भ में संशोधित ईपीएस-95 योजना के लाभार्थियों को दिए जाने वाले अन्य लाभों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (ड.) ईपीएस 95 आकस्मिकताओं के व्यापक स्पेक्ट्रम को कवर करते हुए व्यापक लाभ प्रदान करती है, जो सदस्यों और उनके परिवारों की वृद्धावस्था के दौरान सामाजिक सुरक्षा संरक्षण सुनिश्चित करता है।

एक ईपीएस का सदस्य निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने पर ईपीएस के तहत सेवानिवृत्ति के लिए पात्र हो जाता है:

(i) न्यूनतम 10 वर्ष की पात्र सेवा; और
(ii) 58 वर्ष की आयु होने पर।

58 वर्ष पूरा करने से पहले रोजगार की समाप्ति पर, एक सदस्य प्रारंभिक पेंशन का विकल्प चुन सकता है। ऐसी प्रारंभिक पेंशन का लाभ 50 वर्ष की आयु पूरी करने के बाद ही लिया जा सकता है, बशर्ते पेंशन को 58 वर्ष से कम होने वाले प्रत्येक वर्ष के लिए 4% की दर से कम किया जाता है।

तथापि, कम से कम एक माह के अंशदान वाले सदस्य की अशक्तता अथवा मृत्यु के मामले में पेंशन पात्रता के लिए ऐसा कोई आयु अथवा न्यूनतम पात्रता सेवा मानदंड लागू नहीं होगा।

केंद्र सरकार सदस्य/विकलांग सदस्य/विधवा/नामिती/आश्रित माता-पिता पेंशनभोगियों को 1,000 रुपये प्रति माह की न्यूनतम पेंशन प्रदान कर रही है; अनाथ पेंशनरों के लिए 750/रुपये प्रति माह और बच्चों के लिए 250/-रुपये प्रति माह की पेंशन 01.09.2014 से प्रभावी है।

****